प्रकरण संख्या–46/2018 2018/00083 तारीख रजु–19.07.2018

न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी नन्नूमल पहाड़िया, आई.ए.एस.

उनवान

सरकार जरिये अमित कुमार, प्रवर्तन निरीक्षक हिण्डौन, तहसील हिण्डौन, जिला करौली–प्रार्थी

बनाम

श्री मनीष कुमार पुत्र श्री विनोद कुमार, महुआ रोड, हिण्डौन, जिला–करौली – अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 बाबत् सीज्ड घरेलू गैस सिलेण्डर एक मय 7.2 किलो गैस को राजसात् करने।

निर्णय

दिनांक–27.03.2019

प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रवर्तन निरीक्षक हिण्डौन श्री अमित कुमार द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत यह प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि श्रीमान् शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग जयपुर के पत्रांक एफ17(2) खा.वि./न्याय/2000 जयपुर दिनांक 26.03.2018 द्वारा द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस के अवैध भंडारण एवं अन्तरण पर निर्बन्धन के प्रावधानों की पालना, अवमानना पर सतर्कता कार्यवाही एवं सुरक्षा मानकों के प्रचार प्रसार हेतु सुरक्षा पखवाडा दिनांक 1 अप्रैल 2018 से 15 अप्रैल 2018 मनाने एवं इसी क्रम में 1 अप्रैल 2018 से 15 अप्रैल 2018 की अवधि में सघन अभियान सुरक्षा पखवाडा चलाकर जिले में संचालित अवैध गतिविधियों के विरूद्ध द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश, 2000 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत कड़ी कार्यवाही करने हेतु गठित जाँच दल द्वारा दिनांक 11.04.2018 तहसील हिण्डौन में नगरपरिषद हिण्डौन में श्री मनीष कुमार पुत्र श्री विनोद कुमार, महुआ रोड, हिण्डौन, जिला–करौली की मथुरा मिष्ठान भण्डार की दुकान से 1 घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग करते हुए पाये जाने पर 1 घरेलू गैस सिलेण्डर को जप्त किया गया जिसका विवरण निम्नानुसार है–

क्र. सं.	तेल कंपनी का नाम	गैस सिलेण्डर का एस.आर.नम्बर	टेयर वेट (किलोग्राम)	ग्रॉस वेट (किलोग्राम)	नेट वेट (किलोग्राम)
1	आईओसीएल	501109–E	15.8	23	7.2

इस प्रकार श्री मनीष कुमार पुत्र श्री विनोद कुमार, महुआ रोड, हिण्डौन, जिला–करौली द्वारा द्रवित पेट्रोलियम गैस(प्रदाय का विनियमन एवं वितरण) आदेश 2000 के खण्ड 3(1) एवं 4(क) एवं 5 एवं 7(2) का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है। अंत में प्रार्थना पत्र को स्वीकार फरमाते हुए जप्तशुदा एक घरेलू गैस सिलेण्डर मय 7.2 किलो गैस को राजसात् किये जाने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी जरिये सम्मन नोटिस की गई।

अप्रार्थी ने अपना जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी की दुकान पर जो सिलेण्डर जब्त किया गया है, उसे विष्णु कुमार बरगमा वाले लीकेज होने के कारण गैस

जिला कलक्टर
करौली

एजेन्सी पर बदलवाने के लिए लाये थे एवं एजेन्सी के तब तक नहीं खुलने के कारण उसे तब तक बदल नहीं पाये थे तथा कुछ देर के लिए दुकान पर रखकर जरूरी काम से महुआ चले गये थे। इसी बीच में प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा सिलेण्डर जब्त कर लिया गया। प्रार्थी द्वारा अपनी दुकान पर कभी भी घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग नहीं किया गया है। यदि घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग किया जाना पाया जाता तो सिलेण्डर के साथ–साथ भट्टी या चूल्हा या नली इत्यादि भी जब्त की जाती। जवाब के साथ श्री विष्णु कुमार बरगमा वाले का शपथ पत्र संलग्न है। अंत में प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज कर सिलेण्डर वापिस दिलाये जाने का निवेदन किया है।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रवर्तन निरीक्षक, हिण्डौन ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि सुरक्षा पखवाड़ा के दौरान दिनांक 11.04.2018 को अप्रार्थी मनीष कुमार की दुकान मधुर मिष्ठान भण्डार से सिलेण्डर को व्यावसायिक उपयोग करते हुए जब्त किया गया है। अंत में प्रार्थना पत्र को स्वीकार फरमाये जाने का कथन किया है।

अप्रार्थी का बहस में कथन है कि अप्रार्थी की दुकान से जब्त सिलेण्डर श्री विष्णु कुमार बरगमा वाले का है जिसे वह लीकेज होने के कारण गैस एजेन्सी से बदलवाने हेतु लाये थे एवं तब तक एजेन्सी के नहीं खुलने के कारण और आवश्यक कार्य से महुआ जाने के कारण अप्रार्थी की दुकान पर रख गये थे। श्री विष्णु के महुआ से लौटने से पहले ही प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा सिलेण्डर जब्त कर लिया गया। प्रार्थी द्वारा अपनी दुकान पर कभी भी घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग नहीं किया गया है। श्री विष्णु कुमार ने सिलेण्डर के अपना होने बाबत् शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है। अंत में प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज फरमाये जाने का कथन किया है।

बहस उभय पक्षकारान एवं पत्रावली का अवलोकन कर मनन किया गया। लीकेज सिलेण्डर को मिठाई की दुकान पर रखे जाने का कथन उचित प्रतीत नहीं होता है क्योंकि वहां भट्टियां चालू रहती हैं एवं लीकेज सिलेण्डर कभी भी आग पकड़ सकता था। विष्णु कुमार द्वारा सिलेण्डर को सुपुर्द करने बाबत् आवेदन भी प्रस्तुत नहीं किया है। अतः अप्रार्थी के द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग किया जाना प्रतीत होता है। इसलिए घरेलू गैस सिलेण्डर को मय गैस 7.2 किलो राजसात् किया जाना उचित समझते हैं।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 6ए, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है। जब्तशुदा एक घरेलू गैस सिलेण्डर को मय गैस 7.2 किलो राजसात् किया जाता है। जिला रसद अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि जब्तशुदा सिलेण्डर को संबंधित कम्पनी में जमा करवाकर एवं सिलेण्डर की गैस 7.2 किलो की बाजार दर से बिक्री कर प्राप्त राशि को राजकोष में जमा करवाया जाकर 15 दिवस में पालना रिपोर्ट मय चालान प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। निर्णय की प्रमाणित प्रति जिला रसद अधिकारी करौली को पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 27.03.2019 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(नन्नूमल पहाड़िया)
जिला कलक्टर, करौली